संख्या: 588/xxvii(7)27(3)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादूनः दिनॉकः 01 जुलाई, 2013

विषयः– प्रदेश के वाहन चालक सेवा–संवर्ग का पुनर्गठन।

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्याः–108/xxvii(7)/2006 दिनांक 3 जुलाई 2006, एवं पत्र संख्याः–403/xxvii(7)27(3)/2013, दिनांक 08 फरवरी, 2013 द्वारा संसूचित पूर्व निर्णयों के आंशिक संशोधन के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनर्विचारोपरान्त प्रदेश के वाहन चालक सेवा–संवर्ग को तत्कालिक प्रभाव से निम्नवत् संशोधित रूप में पुनर्गठित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	संस्तुत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	पदों का प्रतिशत	भर्ती की प्रकिया/अर्हता
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1–	वाहन चालक ग्रेड–4	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 1900	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 1900	30	(एक) 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के अर्हताएं:– (i) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और (ii) यथा स्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स संबंधित निधि के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से 03 वर्ष से अनन्यून अवधि का रखता हो। (दो) 25 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे क्लीनरों और समूह 'घ' के कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और, यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का 03 वर्ष से अनन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आंठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण

					कर ली हो: परन्तु, यदि उक्तानुसार पोषक संवर्ग की अनुपलब्धता हो अथवा पोषक संवर्ग में ऐसे पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को उक्त खण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।
2–	वाहन चालक ग्रेड–3	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2400	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2400	25	वाहन चालक ग्रेड–3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–4 से की जायेगी, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को 09 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली है और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
3.	वाहन चालक ग्रेड–2	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2800	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2800	20	वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–3 के पदधारकों से की जायेगी, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को ग्रेड–3 के पद पर 06 वर्ष की संतोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड–4 की सेवाओं को जोडते हुए कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
4.	वाहन चालक ग्रेड–1	वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	15	वाहन चालक ग्रेड–1 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–2 पदधारकों से की जायेगी, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को ग्रेड–2 के पद पर 03 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।
5.	वाहन चालक विषेश श्रेणी	–	वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4600	10	वाहन चालक विशेष श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–1 के पदधारकों से की जाएगी, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस का ग्रेड–1 के पद पर कम से कम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2– उपर्युक्तानुसार संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध पदों पर प्रथमतः एक मुश्त समायोजन एवं तत्पश्चात् भर्ती/पदोन्नति के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था सुसंगत सेवानियमावली में संशोधन (यथास्थिति) करके निर्धारित की जायः–

"संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन के उपलब्ध पदों पर वर्तमान व्यवस्था में निम्न स्तर (ग्रेड वेतन) के पद पर कार्यरत पदधारकों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर प्रथमतः पुनर्गठन की तिथि से एक मुश्त समायोजन कर दिया जाय। एक मुश्त समायोजन की यह सुविधा एक बार ही दी जायेगी और ऐसे समायोजित होने वाले पद धारकों का संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन में वेतन–निर्धारण शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–27 में निहित व्यवस्था(यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

तत्पश्चात् रिक्त पदों को, संबंधित पद हेतु उक्तानुसार संशोधित रूप में निर्धारित अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार ही भरा जायेगा।"

3– कृपया उपर्युक्त पत्र दिनांक 03 जुलाई, 2006 एवं दिनांक 08 फरवरी, 2013 द्वारा संसूचित निर्णयों को उक्त निर्णयों के अनुसार संशोधित रूप में कार्यान्वित किये जाने हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव ।